उत्तराखण्ड शासन
औद्योगिक विकास अनुभाग–2
संख्या : 443 /VII-A–2/2021/19–सिडकुल/2017
देहरादून :दिनांक 31 मई, 2021

अधिसूचना

रसायन एवं पेट्रो रसायन विभाग, रसायन एवं उर्वरक मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा प्लास्टिक पार्क योजना के अन्तर्गत जनपद उधमसिंहनगर के सितारगंज में प्लास्टिक पार्क की स्थापना की जानी है। सितारगंज स्थित औद्योगिक क्षेत्र में औद्योगिक विकास विभाग की 40 एकड़ भूमि, जिसका प्रबंधकर्ता सिडकुल है, पर प्लास्टिक पार्क स्थापित किया जाना है। प्लास्टिक पार्क हेतु अधिसूचना सं0–03/VII-A-2/2020, दिनांक 24 जनवरी, 2020 द्वारा SPV (Special Purpose Vehicle) का गठन किया जा चुका है। सम्यक विचारोपरान्त उक्त वर्णित भूमि पर प्लास्टिक पार्क की स्थापना हेतु एतद्द्वारा श्री राज्यपाल निम्नांकित शर्तों के अधीन सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैं:–

(1) सितारगंज स्थित औद्योगिक क्षेत्र में औद्योगिक विकास विभाग की 40 एकड़ भूमि औद्योगिक विकास विभाग के स्वामित्व में है जिस पर कोई वित्तीय भार परिलिक्षित होने की सम्भावना नहीं है। यह योजना भारत सरकार तथा राज्य सरकार के संयुक्त उपक्रम में संचालित हो रही है जिस पर केन्द्र सरकार द्वारा परियोजना का अनुदान उत्तराखण्ड राज्य को उपलब्ध कराया जाना है। उक्त 40 एकड़ भूमि पर सिडकुल प्लास्टिक पार्क लि0 (SPPL) की स्थापना हेतु सहमति प्रदान की जाती है।

(2) भारत सरकार के पत्र संख्या–25015/09/2015–पीसी–II, दिनांक 03.12.2020 द्वारा प्रदान की गयी अंतिम स्वीकृति में भूमि मूल्य को परियोजना लागत में शून्य मूल्य पर उपलब्ध कराये जाने की शर्त रखी गयी है। यद्यपि जिलाधिकारी के पत्र दिनांक 05.12.2020 में अंकित वर्तमान सर्किल रेट रू0 20 लाख प्रति है0 की दर से 40 एकड भूमि का मूल्यांकन रू0 3,23,75,000.00 आता है तथापि प्रबन्ध निदेशक, सिडकुल द्वारा उपलब्ध कराये गये प्रस्ताव दिनांक 07.12.2020 के क्रम में शासन स्तर पर सम्यक विचारोपरान्त औद्योगिक विकास विभाग से सम्बन्धित भूमि सिडकुल को एवं तत्पश्चात सिडकुल द्वारा SPV(SPPL) सिडकुल प्लास्टिक पार्क लि0 को शून्य स्टाम्प शुल्क पर हस्तान्तरित करने की सहमति प्रदान की जाती है।

(3) इस हस्तांतरण के उपरान्त, इस हस्तांतरण के सापेक्ष आवश्यक धनराशि हेतु सिडकुल के किसी भिज्ञ अधिकारी को नोडल अधिकारी नामित किया जाये

जो वित्त विभाग के (सम्बन्धित विषय में) नोडल अधिकारी से संपर्क कर वित्त विभाग की पृच्छा के सापेक्ष सिडकुल का पक्ष रखेगा एवं प्रकरण का जल्द निस्तारण करेगा। इस हेतु 2 माह की समय सीमा भी निर्धारित की गयी है। इस सम्बन्ध में प्रबन्ध निदेशक, सिडकुल को यथाशीघ्र प्रस्ताव उपलब्ध कराये जाने हेतु निर्देशित किया जाता है।

(4) किसी भी दशा में भूमि का उपयोग Collateral Security हेतु नहीं किया जायेगा।

(5) Project Period के Completion के बाद SIIDCUL के अन्य भूमि के तहत वह (इस) भूमि का First Right राज्य सरकार का होगा।

उक्त अधिसूचना तत्काल प्रभावी होगी।

(सचिन कुर्वे)
सचिव

संख्याः 443 (1)/VII-A-2/2021/19-सिडकुल/2017, तददिनांकित।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः-

1. निजी सचिव, मा0 मुख्यमंत्री जी, उत्तराखण्ड शासन।
2. निजी सचिव, मा0 औद्योगिक विकास मंत्री, उत्तराखण्ड शासन।
3. निजी सचिव, मुख्य सचिव, उत्तराखण्ड शासन।
4. सचिव, भारी उद्योग एवं सार्वजनिक उद्यम मंत्रालय, भारी उद्योग विभाग, उद्योग भवन, नई दिल्ली।
5. सचिव, राजस्व विभाग/वित्त उत्तराखण्ड शासन।
6. आयुक्त कुमाऊ मण्डल, नैनीताल।
7. महानिदेशक, उद्योग, उत्तराखण्ड़, देहरादून।
8. प्रबन्ध निदेशक, सिडकुल, उत्तराखण्ड, देहरादून।
9. जिलाधिकारी, उधम सिंह नगर, उत्तराखण्ड।
10. निदेशक, राजकीय मुद्रणालय, रूड़की को आगामी सरकारी गजट में प्रकाशनार्थ।
11. गार्ड फाईल।

आज्ञा से,

(उमेश नारायण पाण्डेय)
अपर सचिव